

## परिशिष्ट

राष्ट्रीय आवास बैंक में बीमा ब्रोकर की नियुक्ति करने के लिए प्रस्ताव का अनुरोध  
आरएफपी संदर्भ संख्या: एचओ/एचआरएमडी/डीओसी/2025/03317 दिनांक 08.07.2025

### सामान्य आरएफपी विवरण के लिए परिशिष्ट

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर आवेदकों की शंकाओं के समाधान हेतु, एनएचबी 15 जुलाई 2025 को सुबह 11 बजे ऑनलाइन माध्यम से एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित करेगा। सभी आवेदकों के प्रश्न 14 जुलाई 2025 तक या उससे पहले [hrmd@nhb.org.in](mailto:hrmd@nhb.org.in) पर ईमेल के माध्यम से प्राप्त होने चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोली-पूर्व बैठक के बाद किसी भी आवेदक के किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली-पूर्व बैठक में ही दिया जाएगा। केवल आवेदकों के अधिकृत प्रतिनिधियों को ही बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

बैठक का लिंक बैंक की वेबसाइट पर "निविदाएँ" अनुभाग के अंतर्गत प्रकाशित किया जाएगा।

प्रश्न अनिवार्य रूप से निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

क्रम संख्या	आरएफपी पैरा संख्या एवं पृष्ठ संख्या	आरएफपी की विषय-वस्तु जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	स्पष्टीकरण हेतु बिंदु

राष्ट्रीय आवास बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि आवेदकों के प्रश्न उन्हें प्राप्त हो गए हैं। ऊपर निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार या निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त स्पष्टीकरण के किसी भी अनुरोध पर राष्ट्रीय आवास बैंक विचार नहीं करेगा।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आवास बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह

- बिना कोई कारण बताए आरएफपी के जवाब में प्राप्त किसी भी या सभी प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार कर दे;
- बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर आरएफपी को रद्द कर दे;
- यदि चयन के लिए मूल्यांकन किया गया पहला सबसे उत्तरदायी आवेदक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समझौता करने में विफल रहता है, तो अगले सबसे उत्तरदायी आवेदक का चयन कर ले;
- किसी भी आवेदक द्वारा आरएफपी के जवाब में दी गई जानकारी/स्पष्टीकरण को अन्य सभी आवेदकों/अन्य के साथ उसी रूप में साझा करना, जैसा कि प्रश्न उठाने वाले आवेदक को स्पष्ट किया गया था।

मानव संसाधन एवं प्रबंधन विभाग

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली

11.07.2025